न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:–95 / 2022

जी.सी.एम.एस नं.–2022 / 211

तुषारसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–––वादी

बनाम्

1. बलवीरकौर पत्नी सीतासिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं.–19 नया अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. उप पंजीयक अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––––प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

–:: निर्णय ::– दिनांक:– 30/4/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विवादति कृषि भूमि वाके चक 5 पी जी एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–46 पत्थर नं.–291 / 449 का किला नं.–1 / 1 का 0.202, 1 / 3 का 0.026, 2 / 1 का 0.228, 2 / 2 का 0.025 खाला, 3 / 1 का 0.228, 3 / 2 का 0.025 खाला, 3 / 1 का 0.228, 3 / 2 का 0.025 खाला, 4 / 1 का 0.228, 4 / 2 का 0.025 खाला, 5 / 1 का 0.228, 5 / 2 का 0.025 खाला, 6 ता 9 प्रत्येक का 0.253, 10 / 1 का 0.228, 11 / 2 का 0.227, 12 ता 15 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल तादादी 3.719 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि पैतृक एवं सदायिसकी भूमि में वादी को 1 / 3 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे और तदुनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अकन किए जाने का आदेश प्रतिवादी सं.–3 को दिया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ने **प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी** पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद में वर्णित वादाधीन सम्पति को संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पति बताते हुए वाद पत्र पेश किया है। वादाधीन सम्पति कृषि भूमि मुझ प्रतिवादी की स्वअर्जित, खरीदशुदा, खातेदारी व एकल पूर्ण स्वामित्व की सम्पत्ति है और वादाधीन कृषि भूमि की प्रतिवादी सं.–1 रिकॉर्डेड खातेदार टीनेन्ट है। वादाधीन कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति नहीं है और ना ही सहदायी या पैतृक सम्पत्ति है और ना ही वादी वादाधीन कृषि भूमि में सहदायी या अंशधारक है। वादी ने वाद पत्र के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेज / सबूत पेश नही किया है, जिससे प्रथमदृष्ट्या उक्त वादाधीन सम्पति संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार सम्पति अथवा पैतृक या सहदायिकी सम्पत्ति साबित हो है। वाद–पत्र के पक्षकारान हिन्दू है, जो हिन्दू विधि से शासित होते है। हिन्दू विधि के [illegible] हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति उसकी आत्यान्तिक सम्पत्ति है जिसकी वह हिन्दू स्त्री पूर्ण व आत्यान्तिक स्वामी है जिसमें वादी का किसी प्रकार कोई हक व अधिकार नहीं है। वादी का वाद पूर्णतया frivolous, वेग एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है तथा वाद विरुद्ध है। उक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के मध्यनजर वादी का वाद–पत्र पोषणीय नहीं है तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर अर्ज है कि वादीग का वाद–पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:19 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी/वादी ने निवेदन किया कि वादाधीन सम्पति सयुंक्त हिन्दू परिवार अविभाजित सम्पति होने के साथ पैतृक सम्पति भी है। उक्त भूमि वादी के दादा ने मोरजण्ड की कृषि भूमि बेचान कर उसी प्रतिफल राशि से अपनी पत्नी यानि वादी की दादी प्रतिवादीया सं.–1 के नाम से खरीद की है। प्रतिवादीया सं.–1 घरेलु महिला है उसके पास आय का कोई साधन नहीं था और ना ही वादाधीन कृषि भूमि की प्रतिफल राशि अदा करने का कोई जरिया था। जिससे यह स्पष्ट है कि वादाधीन कृषि भूमि की प्रतिफल राशि वादी के दादा सीतासिंह ने पैतृक कृषि भूमि बेचान कर अदा की है। वादी द्वारा समस्त दस्तावेजी सबुत पेश किए गए है। प्रार्थना पत्र हाजा में उठाया गया बिन्दू साक्ष्य का मोहताज है हिन्दू विधि के अनुसार भी यदि स्त्री के पास पैतृक सम्पर्ति अपने पूर्वजो से प्राप्त होती है अथवा सयुंक्त परिवार के उद्यम से सर्जित सम्पतिं उसके नाम से दर्ज करवाई जाती है तो वह उसकी स्वअर्जित सम्पतिं नही मानी जा सकती। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। वादी के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील वादी/प्रतिवादी सं.–1 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि वादी द्वारा उपरोक्त वाद में वर्णित वादाधीन सम्पति को संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पति बताते हुए वाद पेश किया हैं लेकिन वाद पत्र के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिससे प्रथम दृष्टया उक्त सम्पति संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पति प्रतीत होती हो। वादाधीन सम्पति कृषि भूमि मुझ प्रतिवादी सं.–1 की स्वअर्जित, खरीदशुदा, खातेदारी व एकल पूर्ण स्वामित्व की सम्पत्ति है और वादाधीन कृषि भूमि की प्रतिवादी सं.–1 रिकॉर्डेड खातेदार टीनेन्ट है। वादाधीन कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति नहीं है और ना ही सहदायी या पैतृक सम्पत्ति है वादी का वाद पोषणीय नहीं हैं तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादी का वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो पोषणीय नहीं हैं तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नहीं है। वादी का वाद पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में पत्रावली में प्रतिवादी सं.–1 विवादित कृषि भूमि खरीदशुदा स्वःअर्जित व खातेदारी सम्पति हैं प्रतिवादी सं.–1 अपने जीवन में विवादित सम्पति का पूर्ण व एक मात्र स्वामी हैं वादी का हस्तगत वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के कारण एवं वाद के विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादीगण सं.–1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादीगण सं.–1) [illegible] प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार जाकर वादी का वाद [illegible] जाता है। निर्णय आज दिनांक 30/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:19 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़